

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ. 7 (7)(12)पंचा/रानिआ/14/ 4639

दिनांक : 13/10/14

प्रेषक -

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित-

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- राजस्थान पंचायतीराज (वाहनों एवं लाउड स्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टर/बैनर्स आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 2009 के अंतर्गत दोष सिद्ध व्यक्ति की सूचना आयोग को प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

आपका ध्यान राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22-क के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :-

“22-क यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन- (1) राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और उस तारीख को जिस दिन निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार या उसके सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग एवं कटआउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता उपधारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह दोष सिद्धि पर ऐसे जुर्माने से जो 2000/- रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन दण्डित प्रत्येक व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी पंचायतीराज संस्था का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का दायी होगा।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

(4) कोई भी न्यायालय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं होगा।”

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 22-क के प्रावधान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा वाहनों वह लाउड स्पीकरों के उपयोग तथा कट-आउट्स, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर्स के प्रदर्शन आदि से संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 30.12.2009 एवं 26.8.2014 द्वारा आदेश प्रसारित किये गये थे, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है।

राज्य निर्वाचन आयोग की उक्त अधिसूचना में कतिपय प्रकार के वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित किया गया है। लाउडस्पीकर के उपयोग पर कतिपय प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं तथा कटआउट्स, होर्निंग, पोस्टर्स पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

आयोग के उक्त आदेश के पैरा-7 के अनुसार क्षेत्राधिकार रखने वाले उप खण्ड अधिकारी इस बात के लिए नामित किये गये हैं कि उक्त आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किये जाने पर वह क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी परिवाद का निस्तारण किया गया है तो उस निर्णय की प्रति 15 दिवस के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भेजी जावेगी।

जैसा कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 22-क में प्रावधान है कि उक्त प्रकार से दण्डित व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी पंचायतीराज संस्था के सदस्य चुने जाने व होने के लिये अधिकतम 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरहित किया जायेगा, अतः आप ऐसे जो भी प्रकरण उक्त प्रकार से दोष सिद्धि के हैं और उनका सक्षम न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जा चुका है, उसका विवरण मय सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के राज्य निर्वाचन आयोग को सात दिवस में आवश्यक रूप से भेजें, ताकि आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से पूर्व उक्त प्रकरण पर धारा 22-क के प्रावधानों के अंतर्गत समुचित निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,
(सत्यप्रकाश बसवाला)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर

क्रमांक: एफ. 7 (7)(12)पंचा/रानिआ/14/ 4640

दिनांक: 13/10/14

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान को उक्त वर्णित अधिसूचना की प्रति, मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जी)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.4(2)(1) पं.चु./नपा/94/ 6933

दिनांक 29.12.2009
30

अधिसूचना

सां. आ.:—61/2009— राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22-क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो वह शास्ति जो रुपये 2,000/- तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा;

अतः, पंचायती राज संस्थाओं में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद् सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु संचालन के लिए उक्त धारा 22-क और संविधान के अनुच्छेद 243-ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों आदि के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1) पं.चु./नपा/94/4489 दिनांक 6.1.2000 को अतिक्रमिit करते हुये निम्न आदेश जारी करता है:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:— (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं (वाहनों एवं लाऊडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2009 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायती राज संस्थाओं में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:— (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (i) "निर्वाचन" से किसी पंच या सरपंच या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद् सदस्य के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
- (ii) "प्ररूप क" से इस आदेश से संलग्न "प्ररूप क" अभिप्रेत है;
- (iii) "पैरा" से इस आदेश का "पैरा" अभिप्रेत है;
- (iv) "उप पैरा" से उस पैरा का "उप पैरा" अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
- (v) "खण्ड" से इस आदेश के पैरा का "खण्ड" अभिप्रेत है;
- (vi) "नियम" से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के "नियम" अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 अथवा राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनका वहीं अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

(3). कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक किसी भी दिन निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा:—

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर

(4) कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जायेगा;

- (क) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;
- (ख) पंचायत समिति सदस्य चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;
- (ग) सरपंच चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;
- (घ) पंच चुनाव में किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा;
- (ङ) उक्त खण्ड (क) या (ख) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी;
- (च) उक्त खण्ड (ग) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व वाहन संख्या व प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी;
- (छ) किसी भी निर्वाचन में उक्त खण्ड (क), (ख) अथवा (ग), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर साईकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा, और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना निषिद्ध रहेगा;
- (ज) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) के अंतर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 संपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरण:— इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पो, तांगा तथा ऊंटगाड़ी है।

(5) लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध:— लाऊड स्पीकरों का उपयोग निषिद्ध रहेगा;

परन्तु जिला परिषद् सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच चुनाव के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के उपरान्त, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि के सिवाय, उपयोग किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

जिला परिषद् सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/पंच/सरपंच/* के लिए निर्वाचन

निर्वाचन में अभ्यर्थी के द्वारा मुद्रित या तैयार कराये गये पोस्टरों, बैनरों व झण्डियों के विवरण संबंधी घोषणा

1. अभ्यर्थी का नाम
2. अभ्यर्थी के पिता का नाम
3. अभ्यर्थी का पता
4. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार कराये गये बैनरों का विवरण:-
 - (क) तैयार कराये गये बैनरों व झण्डियों का प्रकार व उनकी संख्या (अलग-अलग विवरण देवें)
 - (ख) तैयार कराये गये बैनरों व झण्डियों पर व्यय की गई राशि
 - (ग) बैनर व झण्डियां तैयार करने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम व पता।
 - (घ) बैनर या झण्डियां लगाने के लिए जिनसे अनुमति ली गई उनका विवरण
5. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुद्रित कराये गये पोस्टरों का विवरण:-
 - (क) पोस्टरों का आकार व संख्या
 - (ख) मुद्रक का नाम व पता जहां से मुद्रित कराया गया
 - (ग) मुद्रण पर किया गया व्यय

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है और सही है

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

- जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

आदेश
(आर.के. जैन)
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ7(1)(1)/पंचा/रानिआ/09/6934
प्रतिलिपि:-

दिनांक-30.12.2009

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 200 प्रतियाँ आयोग को उपलब्ध करावें
2. अधिक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को 2 अतिरिक्त प्रतियों के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलेक्टर), राजस्थान
6. अध्यक्ष, /सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर
7. लेखा शाखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारीगण
9. समस्त शाखायें राज्य निर्वाचन आयोग।

(आर.के. पारीक)

उपसचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

(6) कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :- किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे:-

परन्तु यह कि-

- (i) जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में अधिकतम 20000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 10000 रुपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हें प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा-जोखा संलग्न प्ररूप-क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला पंचायती राज निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, और उक्त अधिकारी प्ररूप-क में लेखा-जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप 'क' के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा;
- (ii) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;
- (iii) पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन के लिए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते हैं तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानून में इस निमित्त सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;
- (iv) जहां प्रचार सामग्री या विज्ञापनों के प्रदर्शन के संबंध में स्थानीय विधि में कोई प्रावधान नहीं हो तो वहां किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;
- (v) पोस्टर किसी निजी संपत्ति पर नहीं लगाये जायेंगे;
- (vi) कोई भी पोस्टर, बैनर या झण्डियां आदि प्रचार सामग्री किसी सरकारी संपत्ति पर नहीं लगाये जायेंगे;
- (vii) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या झण्डियां नहीं लगाये जायेंगे;
- (viii) मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा।

(7) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना:- (1) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो कि निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो वह क्षेत्राधिकार के सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसे परिवाद तथा की गयी जांच की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग और जिला पंचायतीराज निर्वाचन अधिकारी को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(2) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला पंचायतीराज निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

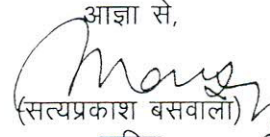
क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 3550

जयपुर, दिनांक : 26/8/14

अधिसूचना

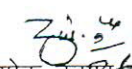
सां.आ. 90/2014- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी सां.आ. 62/2010 एवं 85/2014 को विलोपित किया जाता है तथा सां. आ. 61/2009 (एफ.4 (2)(1)पं.चु./नपा/94/6933 दिनांक 30.12.2009) द्वारा "राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 2009" जारी किया गया था। जिसके पैरा (6) के परन्तुक (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है -

"(i) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 40000 रुपये तथा सरपंच चुनाव में अधिकतम 20000 रुपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हें प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा-जोखा संलग्न प्ररूप-क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और उक्त अधिकारी प्ररूप-क में लेखा-जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप-क के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा,"

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश बसवाली)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/ 3551-60 जयपुर, दिनांक : 26/8/14
प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करें।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
7. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
10. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।


(अशोक कुमार)
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर